जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

बिजली चोरी प्रकरण में एक वर्ष का कारावास

एवं उन्नीस हजार छह सौ चौरानवें रुपए का अर्थदण्ड

जयपुर, 1 फरवरी। विशिष्ट न्यायाधीश (विद्युत अपराध प्रकरण) एवं अपर सैशन न्यायाधीश, बूंदी ने बिजली चोरी प्रकरण में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–135 के अधीन ग्राम जैतपुर जिला बूंदी निवासी अभियुक्त दशरथ खाती पुत्र लक्ष्मीनारायण को एक वर्ष के साधारण कारावास एवं उन्नीस हजार छह सौ चौरानवें रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

गौरतलब है कि दिसम्बर, 2006 में जयपुर विद्युत वितरण निगम के सतर्कता दल ने अभियुक्त के खेत पर सतर्कता जांच में दूसरे कृषि कनेक्शन की एल.टी. लाईन से सीधे तार जोड़कर अवैद्य रुप से 5 हार्स पावर की मोटर चलाकर विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा था एवं बिजली चोरी में प्रयुक्त केबल, बोर्ड आदि सामान को जब्त कर 10 हजार रुपए सात दिन में जमा कराने का नोटिस दिया था। अभियुक्त द्वारा नोटिस एवं स्मरण पत्र जारी किए जाने के बाद भी निर्धारित राशि जमा नही कराने पर निगम द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए लिखित में परिवाद प्रस्तुत किया।

निगम द्वारा परिवाद दायर करने के उपरान्त प्रभावी तरीके से लगातार की गई पैरवी एवं गवाहों के बयानात के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि अभियुक्त के खेत पर ही बिजली विभाग के आदमी जांच करने आए थे एवं उस समय खेत पर 5 एच. पी. की मोटर लगी हुई थी तथा खेत पर विद्युत विभाग की ओर से कोई विद्युत कनेक्शन जारी नही किया हुआ है। यह भी सही था कि अभियुक्त को बिजली विभाग का नोटिस प्राप्त हुआ है तथा उसने नोटिस में अंकित राशि जमा नही कराई है।

निगम द्वारा प्रस्तुत गवाहान ने अभियुक्त की मौके पर उपस्थिति के साथ ही उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–135 के अधीन बिजली चोरी को दण्डनीय अपराध माना तथा ऐसे अपराध से सम्बन्धित कृत्य के कारण समस्त आम–जन के प्रभावित रहने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त दशरथ खाती पुत्र लक्ष्मीनारायण को दोषी करार देकर कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया ।

समस्त आम–जन से अपील है कि राष्ट्र एवं प्रदेश के हित में बिजली चोरी न तो स्वयं करें और न ही अन्य को इस कार्य के लिए प्रोत्सहित करें। बिजली चोरी एक अपराध है एवं इस अपराध के लिए सजा भी हो सकती है। जिसका परिणाम बिजली चोरी करने वाले के साथ ही उसके परिवार एवं अन्य ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं को भी भुगतना पड़ता है। कहीं पर भी बिजली चोरी देखें तो उसकी सूचना नजदीक के निगम कार्यालय को अवश्य दें।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 264/2012